

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/137/2018	2018/00244	04.07.2018	15.09.2021

01- श्रीमती धन्नी पत्नी पन्नालाल जाति मीना निवासी केरवाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर  
-अपीलांट

वनाम

01- राज0सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर।

-रैस्पों

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेडा दिनांक  
18.06.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण  
संख्या 6/2018

उपरिस्थित:-

01-श्री दिनेश कुमार यादव

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 18.06.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम केरवाडा की सरकारी गैर मुमकिन चारागाह एवं गैर मुमकिन रास्ता आराजी ख.नं. 62, रकवा 0.18, है0 63 रकवा 0.40 है, 63/2597 रकवा 0.07 है0 में से 0.04, 0.08, 0.01 है0 पर पश्चातवर्ती अवैध कब्जा करने/अतिक्रमण करने पर की गई सजा व पैनेल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रैस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलव किया गया।

विद्वान अभिभापक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को वहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम केरवाडा की सरकारी गैर मुमकिन चारागाह व गैर मुमकिन रास्ता पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का हल्दीना द्वारा रिपोर्ट दिनांक 02.05.2018 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 03 माह की सजा व पचास गुना पैनेल्टी से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है व पूर्व में अपीलान्ट को वेदखल नहीं किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 9.10.2017 अपास्त फरमाया जावे।


हमने पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की वहस का मनन किया। तहसीलदार मालाखेडा से विवादित आराजी के अतिक्रमण की वर्तमान रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी मौंका रिपोर्ट दिनांक 17.07.2018 में अंकित किया है कि "ग्राम केरवाडा के विवादित आराजी खसरा नम्बर 62

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)


रकबा 0.18, किस्म बारानी-2 चारागाह, 63 रकबा 0.40 किस्म बारानी-2 चारागाह व खसरा नम्बर 63/2599 रकबा 0.07 है0 गैर गुमकिन रास्ता में मौँके पर तेजू द्वारा अतिक्रमित भूमि में बाजरा, धन्नी ने चोला, बनारसी व रागसिंह ने बाजरा बो रखा है। अतिक्रमियों के वारिस मौँके पर उपस्थित मिले जिन्होंने कब्जा हटाने से मना किया। मौँके पर उक्त अराजीयात पर अतिक्रमियान का अतिक्रमण पाया गया। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अतिक्रमियान को मौँके से वेदखल किये जाने बावजूद अतिक्रमियान ने प्रश्नगत आराजी से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है। प्राकृतिक न्याय के सुरथापित सिद्धान्त एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनरथ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91(6)भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं विवादित आराजी से तुरन्त अतिक्रमी का अतिक्रमण हटवायें।

निर्णय प्रति अधिनरथ न्यायालय को उनके मूल रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुरथापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(राकेश कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अतिरिक्त (प्रथम) अलवर (राज.)  
अलवर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अतिरिक्त (प्रथम) अलवर (राज.)  
अलवर (राज.)